vinetur

1 दिसंबर से लागू नियमों के तहत चीन अनुबंधित बैजिउ पर निगरानी कड़ी करेगा

नए नियम खाद्य सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी ब्रांड मालिकों पर डालते हैं, उत्पादन बांटने पर रोक लगाते हैं और लेबल पर ब्रांड तथा कारखाने की पहचान अनिवार्य करते हैं.

शुक्रवार, 20 नवंबर 2026



1 दिसंबर से चीन निजी लेबल, ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग और अन्य कमीशन-आधारित व्यवस्थाओं के तहत बनाए जाने वाले बैजिउ पर निगरानी कड़ी करेगा। इसी दिन खाद्य पदार्थों के अनुबंधित निर्माण पर नया राष्ट्रीय नियम लागू होगा।

'सौंपे गए खाद्य उत्पादन के पर्यवेक्षण और प्रशासन के उपाय' नामक यह नियम चीन के शीर्ष बाजार नियामक ने आदेश संख्या 113 के रूप में जारी किया है। चीनी शराब उद्योग के समाचार माध्यम Yunjiu Toutiao की गुरुवार, 19 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, पहली बार ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइज़िंग और अनुबंधित निर्माण को खाद्य सुरक्षा के लिए एक समर्पित नियामकीय ढांचे के तहत रखा जाएगा।

बैजिउ कारोबार से जुड़े लोगों ने इस समाचार माध्यम को बताया कि इस बदलाव से कई ब्रांडों द्वारा डिस्टिलरी से उत्पादन

आउटसोर्स करने के तरीके बदलने की आशंका है। नई व्यवस्था में कमीशन देने वाला पक्ष—आमतौर पर ब्रांड मालिक या विपणनकर्ता—खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। उत्पाद बनाने वाला पक्ष, यानी कारखाना, अपनी निर्माण गतिविधियों के लिए जिम्मेदार रहेगा। नियमों के मुताबिक, दोनों में से कोई भी पक्ष निजी अनुबंधों के जरिये अपनी कानूनी जिम्मेदारियां कम नहीं कर सकता।

बैजिउ कारोबार के उस हिस्से के लिए यह बड़ा बदलाव है, जहां कुछ ब्रांडों ने उत्पादन के लिए बाहरी कारखानों पर निर्भर रहते हुए मुख्य रूप से विपणन और बिक्री पर ध्यान दिया है। नए नियमों के तहत ब्रांड मालिक अब यह दलील नहीं दे सकेगा कि उसने केवल ट्रेडमार्क का लाइसेंस दिया था और इसलिए उत्पाद सुरक्षा की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

यह तय करने के लिए कि कोई व्यवस्था कमीशन-आधारित उत्पादन के दायरे में आती है या नहीं, नियम उसके नाम के बजाय उसकी वास्तविक प्रकृति को आधार बनाते हैं। Yunjiu Toutiao द्वारा उद्धृत उद्योग के लोगों के मुताबिक, किसी सौदे को अधिकृत उत्पादन, संयुक्त विकास या अनुकूलित सहयोग कहा जाए, फिर भी उसे सौंपा गया निर्माण माना जा सकता है, यदि ब्रांड पक्ष उत्पाद की आवश्यकताएं तय करता है और डिस्टिलरी शराब बनाकर उसकी आपूर्ति करती है। कई कारोबारी संस्थाएं शामिल होने पर भी यही सिद्धांत लागू हो सकता है, अगर स्वामित्व संबंध और वास्तविक कारोबारी रिश्ते से यह स्पष्ट हो कि उत्पाद का निर्देशन कौन कर रहा है।

नियामकों के लिए इसका अर्थ है कि वे केवल अनुबंध में लिखे रिश्ते पर नहीं, बल्कि इस पर अधिक ध्यान देंगे कि उत्पाद वास्तव में कैसे बनाया और नियंत्रित किया जाता है। कंपनियों के लिए इससे आउटसोर्सिंग की व्यवस्थाओं को छिपाने या ब्रांड और उसके अनुबंधित निर्माता के औपचारिक संबंध को कमजोर करने की गुंजाइश कम होगी।

नियम दोनों पक्षों के लिए कड़ी पात्रता शर्तें भी तय करते हैं। कमीशन देने वाले पक्ष के पास कानूनन जरूरी खाद्य उत्पादन या खाद्य कारोबार का लाइसेंस होना चाहिए, या केवल पैकेटबंद खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबारों के लिए जरूरी पंजीकरण पूरा होना चाहिए। उसके पास निर्माता के कामकाज की निगरानी करने और खाद्य सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता भी होनी चाहिए। उत्पादन करने वाले पक्ष के पास वैध खाद्य उत्पादन परमिट, संबंधित उत्पादन क्षमता और खाद्य सुरक्षा उपाय होने चाहिए तथा उसका काम लाइसेंस के दायरे में रहना चाहिए।

बैजिउ के लिए सबसे अहम बदलावों में से एक उन खाद्य पदार्थों के उत्पादन को अलग-अलग हिस्सों में बांटने पर रोक है, जिनके लिए पूरी निर्माण प्रक्रिया जरूरी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह नियम बैजिउ पर लागू होगा, जिसके उत्पादन में आम तौर पर कोजी बनाना, किण्वन, आसवन, भंडारण और मिश्रण की पूरी श्रृंखला शामिल होती है। नए नियमों के तहत कंपनियां इस प्रक्रिया को अलग-अलग आउटसोर्स किए गए चरणों में नहीं बांट सकेंगी।

इस प्रावधान से स्पिरिट्स बाजार में कुछ कारोबारियों द्वारा अपनाए जाने वाले उस मॉडल पर दबाव पड़ सकता है, जिसमें कोई ब्रांड बेस शराब खरीदता है, सीमित मिश्रण करता है और फिर लेबल वाला उत्पाद उतारने के लिए बोतलबंदी लाइन किराये पर लेता है। Yunjiu Toutiao से बातचीत करने वाले लोगों ने कहा कि इस नियम का उद्देश्य कंपनियों को कागजों पर उत्पादन के अलग-अलग हिस्से दिखाकर जिम्मेदारी से बचने या जांच से बचने से रोकना है, जबकि वे अंतिम उत्पाद को एक संपूर्ण ब्रांडेड शराब के रूप में बेचती हैं।

नियमों में नई रिपोर्टिंग आवश्यकताएं भी शामिल हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 10 कार्यदिवस के भीतर कमीशन देने वाले पक्ष और निर्माता, दोनों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के काउंटी-स्तरीय बाजार नियामकों को इस व्यवस्था की जानकारी देनी होगी। दाखिले में दोनों पक्षों के नाम और पते, जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम, संपर्क विवरण, परमिट या पंजीकरण संख्या, खाद्य श्रेणी, लागू मानक और अनुबंध की अवधि शामिल होनी चाहिए। दी गई जानकारी में बदलाव होने या अनुबंध समाप्त होने पर भी दोनों पक्षों को 10 कार्यदिवस के भीतर इसकी सूचना देनी होगी।

लेबलिंग के नियम भी सख्त होंगे। अनुबंधित व्यवस्था के तहत बना पैकेटबंद बैजिउ के लेबल पर कमीशन देने वाले पक्ष और निर्माता—दोनों के नाम, पते और संपर्क विवरण देने होंगे। साथ ही, स्पष्ट शब्दों में यह बताना होगा कि इनमें से कौन

कमीशन देने वाला पक्ष है और कौन निर्माता। इस उपाय के समर्थकों का कहना है कि इससे आपूर्ति श्रृंखलाओं का पता लगाना आसान होगा और खरीदारों तथा नियामकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उत्पाद के लिए कौन जिम्मेदार है।

Luzhou Shulu Liquor Industry Co. के महाप्रबंधक Deng Chaolan ने Yunjiu Toutiao को बताया कि नए नियम दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्ट बनाते हैं। उनके अनुसार, पहले से जानकारी देना और स्थानीय स्तर पर निगरानी करना समस्या सामने आने के बाद जांच पर मुख्य रूप से निर्भर रहने के बजाय, समस्या उभरने से पहले नियंत्रण मजबूत करेगा।

इस समाचार माध्यम ने कारोबारी असर को लेकर अलग-अलग राय भी दी। Chengdu के एक छोटे बैजिउ उत्पादक, जिनकी पहचान केवल Wang उपनाम से बताई गई, ने कहा कि नई शर्तों से विकास और निजी लेबल वाले उत्पादों के लिए प्रवेश की बाधा बढ़ेगी, क्योंकि अब केवल साधारण अनुमति पर्याप्त नहीं होगी। Chengdu Heyifang Liquor Industry के प्रतिनिधि Deng Youliang ने कहा कि जो कंपनियां पहले से नियमों का पालन कर रही हैं, उनके कारोबार पर शायद बहुत कम असर पड़े।

इसका असर बैजिउ से आगे भी जा सकता है। बैजिउ और साके, दोनों कारोबार चलाने वाली Luzhou की एक पेय कंपनी के संस्थापक Wang Wengui ने Yunjiu Toutiao को बताया कि इन नियमों के असर अन्य शराब श्रेणियों पर भी होंगे, क्योंकि सौंपा गया उत्पादन निर्माता के अनुमोदित कारोबारी दायरे में ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन की “other alcoholic beverages” श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त कंपनी उस वर्गीकरण से बाहर चावल की शराब या लिक्योर जैसे उत्पाद बनाने का काम नहीं सौंप सकती, भले ही उनकी निर्माण प्रक्रियाएं मिलती-जुलती हों।

National Technical Committee for Baijiu Standardization के सदस्य और Yuankun के तकनीकी निदेशक Zou Qiang ने इस समाचार माध्यम से कहा कि नियम को कमीशन-आधारित उत्पादन की अस्वीकृति के रूप में नहीं, बल्कि उसे मानकीकृत करने की कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। पेय उद्योग के व्यापक क्षेत्र में इन बदलावों से ब्रांड मालिकों और अनुबंधित निर्माताओं—दोनों पर अनुपालन की मांग बढ़ने की आशंका है। स्पिरिट्स और पेय के अन्य क्षेत्रों में निजी लेबल तथा ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग के मॉडल भी बदल सकते हैं, जहां आउटसोर्स उत्पादन आम है।

विशेष रूप से बैजिउ कंपनियों के लिए, नए नियम ऐसे अधिक सख्त कारोबारी माहौल की ओर संकेत करते हैं, जिसमें केवल ब्रांडिंग और वितरण पर्याप्त नहीं रह सकते। बड़े पैमाने पर सौंपे गए उत्पादन को जारी रखने में सक्षम ब्रांडों और निर्माताओं के लिए नियामकीय अनुपालन, दर्ज किए गए गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा जोखिमों का प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण होंगे।